

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या: 8बी./यू.सी.पी./06/27/2017/एफ.सी./2579

दिनांक: 13/02/2020

सेवा में,

- ✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मन्दिर मालभीडा धारकोट सेरा मुनानी मलीखेत
नागचूलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731 है० वन भूमि के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/16265/2015)

सन्दर्भ:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक -
1913/FP/UK/ROAD/16265/2015 दिनांक 21-01-2020


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.09.2019 तथा 11.10.2019 का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जिसमें निम्नलिखित कमियों की पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:

- 1- In reply to point No. 01 & 03, no corrections have been made. State Government may make the necessary correction in this regard.
- 2- In reply to point No. 02, revised cost benefit analysis in new format uploaded taking NPV amount Rs. 44.60 lakh, however in NPV calculation sheet amount of NPV is Rs. 34,64,425/-. State Government may clarify and remove this discrepancy.
3. राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा सत्यापित Site Inspection Report इस कार्यालय में प्रेषित करें साथ ही उसे online web portal पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के निरीक्षण बाबत उपलब्ध प्रारूप में संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी का ही नाम अंकित किया जाना चाहिये था। इसमें वन क्षेत्र अधिकारी के नाम का उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,


(सन्नी गोयल) 13/02/20

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।